

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(176)नवि/3/1984

जयपुर, दिनांक: 27 JUL 2018

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत प्रभावी क्रियान्वयन बाबत विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2017 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये थे। मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों के माध्यम से कई प्रकार की छूट दी गयी थी, उक्त अवधि को विभागीय आदेश दिनांक 30.06.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक पुनः बढ़ाई गई थी।

जन सामान्य की मांग है कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की अवधि में वृद्धि की जावे, जिससे आमजन की अधिक राहत मिल सके।

अतः जन सामान्य द्वारा पुनः की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की अवधि दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ाई जाती है। इस अवधि में गठित एम्पावर्ड कमेटी को प्रदत्त अधिकार यथावत रहेगें। प्राप्त प्रकरणों का इस अवधि में निस्तारण किया जाकर जन कल्याण शिविरों में जो विभिन्न छूटे विभागीय स्तर पर प्रदान की गई थी। उसकी प्रभाविता दिनांक 31.12.2018 तक एतद्द्वारा बढ़ाई जाती है। वित्त विभाग व राजस्व तथा कार्मिक विभाग के द्वारा दी जाने वाली छूट के आदेश प्रक्रियाधीन होने से से पृथक से जारी किये जावेंगे।

समस्त आयुक्त, प्राधिकरण/सचिव, नगर विकास न्यासों को निर्देशित किया जाता है कि पट्टा बनाने व वितरण तथा अन्य कार्य बाबत कार्य योजना बनाकर नगरीय विकास विभाग को दिनांक 15.08.2018 तक प्रेषित करे। यह आदेश समस्त नगरीय निकायों पर भी प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

 27/7/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग/ नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को सूचनार्थ व आदेश जारी करने बाबत।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. आयुक्त, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
11. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान, जयपुर।
14. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
15. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग (समस्त), राजस्थान।
16. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त), राजस्थान।
17. रक्षित पत्रावली।

 27/7/18
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम